न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0 सं0 03/2024 (जी.सी.एम.एस.नम्बर:2024/127) व इजलास:- डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

अमरीक पुत्र रामस्वरूप जाति धीमर नि0 गोबर्धन गेट कस्बा डीग तहसील डीग

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत बावत कराये जाने पत्थर एवं पुख्ता निशानात

निर्णय **दिनांक: 05.09.2024**

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत बावत कराये जाने पत्थर एवं पुख्ता निशानात** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 2236/1111/0.3870 वाके ग्राम कस्बा डीग प्रथम तहसील डीग में स्थित आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिस पर प्रार्थिया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थिया के उक्त तीनों खेतों की डॉल मेंड पूर्व से ही कायम है। लेकिन प्रार्थिया के उक्त के खेतों के अडौस पडौस में स्थित खेतों के खातेदार आये दिन प्रार्थिया के खेतों अडौस पडौस में स्थित खेतों के खातेदार आये दिन प्रार्थिया के खेतों की डॉल मेंड को नुकसान पहुँचाते है और डॉल मैड तोडकर प्रार्थिया के खेतों में खडी फसल को नुकसान पहुंचाते है जिस बावत कई वार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2236/1111/0.3870 वाके ग्राम कस्बा डीग प्रथम तहसील डीग की पैमाईश कराकर पुख्ता निशानात (पत्थरगढी) कायम किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जाकर रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट तहसीलदार डीग में वर्णित किया गया है कि "आराजी खसरा नम्बर 2236/1111 रकबा 0.3870 वाके कस्बा प्रथम तहसील डीग अमरीक पुत्र रामस्वरूप पूर्ण हिस्सा जाति धीमर का पीएनबी शाखा डीग में दर्ज रिकार्ड एवं मुताविक जमाबन्दी किसी भी न्यायालय का स्थगन प्रभावी नहीं है। खसरा में लगभग हि0 1/4 पर नगर पालिका द्वारा कचरा डाला जाता है एवं लगभग हि0 3/4 पर पानी भरा हुआ है यह खसरा नम्बर डीग से बहज रोड एवं मालीपुरा रोड से लगा हुआ है। सीमाज्ञान किया जाना संभव नहीं है।"

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2236/1111/0.3870 वाके ग्राम कस्बा डीग प्रथम तहसील डीग का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी कायम किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन व वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। मुताविक रिपोर्ट तहसीलदार डीग प्रार्थी का मौके पर आराजी खसरा नम्बर 2236/1111/0.3870 वाके ग्राम कस्बा डीग प्रथम तहसील डीग पर वर्तमान में सीमाज्ञान कराया जाना संभव नहीं होना अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी पत्थरगढी को अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128(पत्थरगढी) एल.आर.एक्ट, में प्रस्तुत रिकार्ड/रिपोर्ट तहसीलदार डीग के अनुसार सावित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.